



सीएसआईआर-भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान  
विषविज्ञान भवन, 31 महात्मा गांधी मार्ग, पोस्ट बॉक्स नं. 80, लखनऊ-226001  
**CSIR-Indian Institute of Toxicology Research**  
Vishvighyan Bhavan, 31 Mahatma Gandhi Marg, Post Box No.80, Lucknow-226001



संख्या: आईआईटीआर/1-स्था0(334)/2002

दिनांक: 12.03.2024

### कार्यालय ज्ञापन

सक्षम प्राधिकारी, सीएसआईआर-आईआईटीआर, लखनऊ, ने संस्थान के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6-2(6)/2005-R&A, दिनांक 15.01.2024 के अनुसरण में श्रीमती अर्चना अग्रवाल, वरिष्ठ आशुलिपिक, को वेतन मैट्रिक्स लेवल-07 (रूपये 44900-142400) से, दिनांक 15.01.2024 से निजी सचिव(तदर्थ) वेतन मैट्रिक्स लेवल-08 (रूपये 47600-151100) के पद पर पदोन्नति होने पर दिनांक 16.01.2024 से वेतन नियतन करने का सहर्ष अनुमोदन प्रदान किया है। श्रीमती अर्चना अग्रवाल ने दिनांक 15.01.2024(अपराह्न) से निजी सचिव(तदर्थ) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था, नियमानुसार कार्यभार ग्रहण तिथि से दिनांक 29.02.2024 को 45 दिन की नियमित सेवा पूरी हो चुकी है, अतः श्रीमती अर्चना अग्रवाल, निजी सचिव(तदर्थ) का वेतन नियतन, दिनांक 16.01.2024 से निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है:-

1.	दिनांक 15.01.2024 पर आहरित मूल वेतन:-	वेतन मैट्रिक्स लेवल-07 सेल-09 (रूपये-44900-142400)	रूपये: 56900/-
2.	दिनांक 16.01.2024 को पदोन्नति पर एक वेतनवृद्धि:-	वेतन मैट्रिक्स लेवल-07 सेल-10 (रूपये-44900-142400)	रूपये: 58600/-
3.	दिनांक 16.01.2024 को वेतन नियतन	वेतन मैट्रिक्स लेवल-08 सेल-08 (रूपये-47600-151100)	रूपये: 58600/-

उपर्युक्त वित्तीय लाभ अधिकतम एक वर्ष तक देय होगा। इस दौरान यदि इस पद पर किसी नियमित कर्मचारी की नियुक्ति या सीएसआईआर, द्वारा किसी कर्मचारी को भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, में इस रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है, जिस पर श्रीमती अर्चना अग्रवाल, को तदर्थ पदोन्नति प्रदान की गयी है, तो श्रीमती अर्चना अग्रवाल की तदर्थ पदोन्नति तत्काल वापस ले ली जाएगी तथा इन्हें पुनः वेतन मैट्रिक्स लेवल-07 (रूपये-44900-142400) के अंतर्गत वेतन दिया जाएगा।

श्रीमती अर्चना अग्रवाल,  
निजी सचिव (तदर्थ),  
सीएसआईआर-आईआईटीआर, लखनऊ।

अर्चना अग्रवाल  
12/03/24

Rajendra  
12/03/24  
(राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा)  
अनुभाग अधिकारी

### प्रतिलिपि:

1. सामान्य/बीजक अनुभाग
2. वित्त एवं लेखा अनुभाग
3. कार्यालय प्रति।